P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11*(Part-2) February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

मूल्यांकन पर विभिन्न आयोगों व समितियों की संस्तुतियाँ

मोनिका भादविया
शोधार्थी,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

शोधार्थी द्वारा मूल्यांकन पर विभिन्न आयोगों व समितियों की संस्तुतियों का अध्ययन करने के बाद यह समझ विकसित हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन महत्वपूर्ण है व मूल्यांकन ही शिक्षक, शिक्षण व विद्यार्थी का केन्द्र बिन्दू है। यही सोचकर शोधार्थी ने राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर सी.बी.एस.ई. व आर.बी.एस.ई. में मूल्यांकन की स्थिति विषय का चयन किया है।

मुख्य शब्द : एन.सी.ई.आर.टी., सी.बी.एस.ई, आर.बी.एस.ई., मूल्यांकन, माध्यमिक स्तर।

प्रस्तावना

मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिस प्रकार डॉक्टर अपनी सफलता का मूल्यांकन रोगी को स्वास्थ्य की ओर ले जाने वाले परिवर्तनों से करता है, उसी प्रकार अध्यापक अपने शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों के आधार पर करता है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल विद्यार्थी की ही जाँच नही होती, बल्कि शिक्षक, शिक्षण पद्धति, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री की उपयोगिता की भी जाँच होती है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यक है कि मूल्यांकन की विधियाँ प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो और व्यावहारिक हो। इस प्रकार मूल्यांकन का क्षेत्र आधुनिक परीक्षा के क्षेत्र से कही अधिक व्यापक है।

मूल्यांकन पर समय–समय पर विभिन्न आयोगों ने अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की है, जो निम्न प्रकार है :–

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन् कमीशन (1948–49)

स्वतन्त्र भारत की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के उद्देश्य तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुर्नगठन करने के लिए भारत सरकार ने 4, नवम्बर 1948 को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, इसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में 10 सदस्य थे, आयोग ने कहा कि लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा को भारतीय शिक्षा का एक निकृष्टतम् तत्व स्वीकार किया गया है यदि परीक्षाओं की उचित रूप से व्याख्या की जावे तो वे शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। **"राधाकृष्णन कमीशन ने यहाँ तक कहा कि यदि शिक्षा में केवल एक ही सुधार करना हो तो परीक्षा पद्धति में किया जाना चाहिये।"** स्पष्ट है कि परीक्षा प्रणाली में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता हैं।

माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन (1952–53)

भारत सरकार के प्रस्ताव संख्या F-9-5/52-B-9 दिनांक 23 सितम्बर, 1952 द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु की गयी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन की विस्तृत व्याख्या करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं –

1. परीक्षाओं मे पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में परिवर्तन की आवश्यकता है। निबन्धात्मक प्रश्नों की व्यक्तिनिष्ठता कम करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को स्थान दिया जाए।
2. बाह्य परीक्षाओं की संख्या में एवं उनके महत्व में कमी की जाए।
3. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर ही एक सार्वजनिक परीक्षा हों।
4. विद्यार्थियों की आन्तरिक प्रगति का लेख (रिकोर्ड) रखा जाए और विद्यार्थी के अन्तिम मूल्यांकन में इसे समुचित महत्व दिया जाए।

भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन (1964–66)

जुलाई 1964 में जब शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया तो यह विचार किया गया कि शैक्षिक विकास के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जानी आवश्यक हैं, क्योंकि शिक्षा–प्रणाली के विविध अंग एक दूसरे पर प्रतिक्रिया कर प्रभावित करते

है। भारत सरकार के प्रस्ताव (No. F. 41/3 (3)/64-E 1, नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 1964) ने एक ऐसी ''सुसन्तुलित एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जो राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।'' यह सम्भव नहीं है कि बगैर उन्नत माध्यमिक विद्यालयों के उन्नत विश्वविद्यालय हो तथा माध्यमिक विद्यालयों की कोटि प्राथमिक विद्यालयों की कोटि पर निर्भर है। ''अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा के प्रत्येक पहलू की जाँच की जाये। पिछले समय में अनेक आयोगो एवं समितियों ने शिक्षा के सीमित क्षेत्रों एवं विशिष्ट अंगो का सर्वेक्षण किया है। इसके विपरीत, अब सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जायेगा।''

भारतीय शिक्षा आयोग ने परीक्षा को समग्र शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग मानकर उसे शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध माना है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए उसने निम्नलिखित सुझाव दिये है –

1. लिखित परीक्षाओं को सुधारा जाए, ताकि वे शैक्षिक उपलब्धियों के मापन के लिए वैद्य एवं विश्वसनीय बन जाए।
2. जिन योग्यताओं का मापन लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं हो सकता, उनको मापने की विधियों का आविष्कार किया जाए।
3. बाह्य परीक्षाओं के प्रश्नों को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जाए।
4. आन्तरिक जाँच के लिए अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं, मनोवृत्तियों तथा रूचियों को जाँचने आदि के लिए विभिन्न मानकीकृत (स्टेन्डर्डाइज्ड) परीक्षाओं का उपयोग किया जाए।
5. बोर्ड जो प्रमाण–पत्र देता है उसका रूप बदलना चाहिए। प्रमाण–पत्र में केवल उन विषयों में विद्यार्थी की प्रगति का उल्लेख मात्र होना चाहिए जिसमें उसने परीक्षा दी। कुल परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण न लिखा जाये।
6. यदि कोई विद्यार्थी अपनी श्रेणी सुधारने के लिए पूरी शिक्षा या आंशिक परीक्षा पुनः देना चाहे तो उसे ऐसी सुविधा देनी चाहिए।
7. विद्यार्थी को अपने विद्यालय से भी एक प्रमाण–पत्र मिलना चाहिए जिनमें उसके संचयी–प्रगति पत्र (क्युमुलेटिव रिकार्ड) के आधार पर आन्तरिक मूल्यांकन का अंकन हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

'मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसका लक्ष्य छात्र के उपलब्धि के स्तर को उन्नत करने में सहायता देना होना चाहिए, न कि समय विशेष में उसके कार्य की गुणवत्ता को देखकर उसे प्रमाण पत्र देना।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति ने परीक्षाओं में व्यक्तिपरकता को दूर करने, रटने की प्रक्रिया का महत्त्व कम करने, सतत् एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन पर बल देने तथा अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली अपनाने सम्बन्धी सुझाव दिए।

प्रो. यशपाल समिति (1992)

समिति ने 10वीं व 12वीं कक्षा के अंत में ली जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं की समीक्षा करने तथा पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न एवं विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के स्थान पर संकल्पना आधारित प्रश्नों की व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव दिया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005)

बच्चों की अधिगम की गुणवत्ता और विस्तार पर लिखी गई एक सार्थक रिपोर्ट का समावेशी होना चाहिए। इसके लिए बड़ी–बड़ी विशिष्ट परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं। स्वयं सीखने वाली गतिविधियाँ बच्चों में निरंतर चलने वाले अवलोकनात्मक एवं गुणात्मक आकलन का आधार बनती है।''

इस प्रकार NCF-2005 ने विद्यार्थियों के सुनियोजित आकलन एवं नियमित मूल्यांकन की बात की। सतत् एवं समावेशी मूल्यांकन को ही एक सार्थक मूल्यांकन माना गया है। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उनका आकलन किया जा रहा है पर उसको उनकी शैक्षणिक प्रक्रिया के भाग की तरह प्रस्तुत करना चाहिए न कि डरावनी धमकी की तरह। ऐसी परीक्षाएँ जिनमें परीक्षण का आधार मानदण्ड है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव

शिक्षा मंत्रालय ने विश्व–विद्यालय आयोग के सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मूल्यांकन की नई विधियों तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के उपायों के सम्बन्ध में अपना परामर्श देने को कहा, तब आयोग ने कुछ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने परीक्षा में सुधार हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए –

1. उच्च शिक्षा की बाह्य परीक्षाओं में कमी की जाय।
2. शिक्षण कार्य में व्याख्यानों के अलावा विचार गोष्ठियों, ट्यूटोरियल कार्य आदि का भी प्रयोग किया जाय।
3. ट्यूटोरियल कक्षाओं में छात्रों द्वारा किए जाने वाले कार्य का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाय।
4. विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षाओं मे कमी की जाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.)

एन.सी.ई.आर.टी. ने मूल्यांकन का चरम उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना बताया है, इसने पठन–पाठन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन–कार्य को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। मूल्यांकन को केवल ग्रेड निर्धारित करने के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के लाभ के लिए एक प्रभावशाली पृष्ठ–पोषण–प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि समय पर उपचार की कार्यवाही की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर छात्र द्वारा पढाई का निर्धारित न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लिया गया है या नहीं। मूल्यांकन का प्रयोजन निदानात्मक होना चाहिए। इसका उद्देश्य छात्र की योग्यता एवं कमजोरी का पता लगाना होना चाहिए।

समस्या का चयन

जब शोधार्थी ने इन विभिन्न आयोगों व समितियों की मूल्यांकन के बारे मे संस्तुतियाँ का अवलोकन किया तो यह पता चला कि मूल्यांकन में गुणात्मक व संख्यात्मक दोनों तत्वों को व्यक्त किया जाता है। मूल्यांकन में

परीक्षणों के नियम सिद्धान्त, निर्माण, मानकीकरण, प्रशासन तथा उनके द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या आदि सभी कुछ निहित माना जाता है। यही सोचकर शोधार्थी के मन में यह विचार आया कि विभिन्न स्तर पर मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति, समस्याएँ, मुद्दों, माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर पर सतत् एवं समग्र मूल्यांकन की स्थिति का अध्ययन तो पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर सी.बी.एस.ई. व आर.बी.एस.ई. बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्ययन पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। अतः अध्ययन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा है। अतः ऐसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्षेत्र पर शोध कार्य अनिवार्य बन जाता है।

अतः शोधार्थी ने राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर सी.बी.एस.ई. व आर.बी.एस.ई. विद्यालयों में मूल्यांकन की कौनसी पद्धति अपनाई है? वर्तमान में मूल्यांकन की स्थिति क्या है? जिन उद्देश्यों को लेकर इन प्रणालियों को लागू किया गया है क्या वे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? इन बातों को ध्यान में रखकर ही शोधार्थी के मन में यह इच्छा जाग्रत हुई कि वह इन सवालों के जवाब प्राप्त करें। इसी आधार पर शोधार्थी ने सी.बी.एस.ई. व आर.बी.एस.ई. विद्यालयों का चयन कर इस कार्य को पूर्ण करने के लिए समस्या के रूप में इस विषय का चयन किया हैं।

पारिभाषिक शब्दावली

एन.सी.ई.आर.टी.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्

सी.बी.एस.ई.– सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एज्यूकेशन

सी.बी.एस.ई विद्यालयों से तात्पर्य उन विद्यालयों से है जिनमे पाठ्यक्रम संचालन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है।

आर.बी.एस.ई.– राजस्थान बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एज्यूकेशन

आर.बी.एस.ई विद्यालयों से तात्पर्य उन विद्यालयों से है जिनमे पाठ्यक्रम संचालन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है।

मूल्यांकन

मूल्यांकन प्रणाली से तात्पर्य मूल्यांकन की उस प्रक्रिया से है जो वर्ष पर्यन्त बिना रूके विद्यार्थी की शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का मापन करती है। प्रत्येक कार्य जो विद्यार्थी वर्ष भर करता है, वे सभी मूल्यांकन में आते है।

माध्यमिक स्तर

माध्यमिक स्तर से तात्पर्य इन (सी.बी.एस.ई. व आर.बी.एस.ई.) विद्यालयो की कक्षा 9 एवं 10 में पढने वाले छात्रों से है।

माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए भावी योजनाएँ

राजस्थान राज्य में माध्यमिक स्तर पर मुख्य रूप से सी.बी.एस.ई व आर.बी.एस.ई. बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय हैं। शोध द्वारा इनकी स्थिति, आन्तरिक व बाह्य मूल्यांकन किस रूप में हो रहा है इसका पता लगा कर भविष्य के लिए भावी योजनाएँ व सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन कमीशन) (1948–49) दोमड़िया, बी.एम. (2014) भारतीय शिक्षा का इतिहास, रावत प्रकाशन पेज.नं. 156–157 ISBN-978-93-83447-45-9

माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) (1952–53) दिनेशचन्द्र भारद्वाज (1964) भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, पेज. नं. 168–169

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) (1964–66) पाठक पी.डी. त्यागी जी.एस.डी. (2007–08) भारतीया शिक्षा के आयोग (कोठारी कमीशन सहित) अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) पाण्डेय रामशुक्ल (2005) शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्री पृष्ठभूमि, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ISBN-81-7457-050-0

प्रो. यशपाल समिति (1992) नाईक जे.पी., (1998) शिक्षा आयोग और उसके बाद सांखला प्रिन्टर्स ISBN-81-85127-68-9

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) National Focus Group, New Delhi : Vol.-I (NCERT) P.81-87